Purnea University Purnea

M.L. Arya College, Kasba

Department of Pol. Science

Hand written lecture

presented by

Hira chand mehta

Assistant Professor,

D.P - II

Paper - III

Date of lecture - 25-07-2020

Topic:-

समानता का अधिकार (अनु० 14-18)

Right to Equality (Art - 14-18)

Hira chand
25-07-2020

Scanned by CamScanner

संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार

भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, परन्तु 44 वें संवैधानिक संशोधन (1979) द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब सम्पत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी - अधिकार के रूप में है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं जो अग्रलिखित हैं -

① समानता का अधिकार

② स्वतंत्रता का अधिकार

③ शोषण के विरुद्ध अधिकार

④ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

⑤ संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार

और ⑥ संवैधानिक उपचारों का अधिकार

समानता का अधिकार (अनु० 14-18)

(क) कानून के समक्ष समानता (अनु० 14) :- अनु० 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून से समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसके द्वारा राज्य पर बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक-सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एकसमान लागू करेगा।

कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। यदि कानून कर लगाने के संबंध में धनी और गरीब में और सुविधाएं प्रदान करने में स्त्रियों और पुरुषों में भेद करता है तो इसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।

Scanned by CamScanner

(ख) धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनु० 15):- अनु० 15 में कहा गया है कि "राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा।" कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, स्नानगृहों, सड़कों ~~तथा सार्वजनिक स्थानों~~ आदि के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

(ग) राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर (अनुच्छेद 16): अनु० 16 के अनुसार, "सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा।" इसके अंतर्गत राज्य को यह अधिकार है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर दे। संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वे उस पद के उम्मीदवार के लिए राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दें। इसी प्रकार सेवा में पिछड़े हुए वर्गों के लिए भी स्थान आरक्षित किये जा सकते हैं।

(घ) अस्पृश्यता का निषेध (अनु० 17):- सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। अनु० 17 में कहा गया है कि "अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता

Scanned by CamScanner

को लागू करना एक दण्डनीय अपराध होगा।"

हिन्दू समाज से अस्पृश्यता के विष को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 1955 में 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम' पारित किया गया जो पूरे भारत में लागू होता है। इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम' को 1976 में संशोधित कर इसका नाम 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955' कर दिया गया है। 1989 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए इसे 'अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 89' का नाम दे दिया गया। यह कानून अस्पृश्यता के अंत के लिए अब तक बनाये गये कानूनों में सबसे अधिक कठोर है। आवश्यकता इस बात की है कि इस कानून का उपयोग आवश्यक हो, लेकिन कोई दुरुपयोग न हो।

(v) उपाधियों का निषेध (अनु० 18) :- ब्रिटिश शासनकाल में सम्पत्ति आदि के आधार पर उपाधियाँ प्रदान की जाती थीं, जो सामाजिक जीवन में भेद उत्पन्न करती थी। अतः नवीन संविधान में इनका निषेध कर दिया गया है। अनु० 18 में व्यवस्था की गई है कि "सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता।" इसके साथ ही भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता।

अनु० 18 की उपर्युक्त व्यवस्था के बावजूद भारत में 1950 से ही भारत सरकार द्वारा भारतरत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री की उपाधियां प्रदान की जाती रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में कहा है कि, 'उपाधियां प्रदान करने की यह व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है लेकिन इस संबंध में शासन का समस्त कार्य विवेक संगत रूप में और उचित मापदण्डों पर आधारित होना चाहिए।"

Scanned by CamScanner